प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालये, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्र. 612 / 1993

शेशु उर्फ नरेंद्र उर्फ शेषनारायन

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन
(अब छत्तीसगढ़ शासन)

एवं

(जुड़ी हुई दांडिक अपील क्र. 780 / 1993)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ प्रस्तुत
सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता जी
में सहमत हूँ

सही/-
मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध :16/11/2010

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्र. 612/1993

अपीलार्थी शेशु उर्फ नरेंद्र उर्फ शेषनारायन, आत्मज धानुष, उम्र लगभग 23 निवासी ग्राम पुरई, पुलिस थाना उतई, जिला दुर्ग, मध्य परेश (अब छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

उत्तरवादी मध्य प्रदेश शासन (अब छत्तीसगढ़ शासन)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवं

दांडिक अपील क्र. 780 / 1993

अपीलार्थी नारायन, उम्र लगभग 22, आत्मज मानराखन यादव निवासी ग्राम पुरई, पुलिस थाना उतई, जिला दुर्ग, मध्य परेश (अब छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

उत्तरवादी मध्य प्रदेश शासन (अब छत्तीसगढ़ शासन)

अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति

दांडिक अपील क्र. 612/93 में अपिलारथी के लिए कोई नहीं ।

दांडिक अपील क्र. 780/93 में अपिलारथी के लिए श्री रवि कुमार भगत, अधिवक्ता।

दोनों अपील में शासन के लिए श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

(16.11.2010)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय **<u>श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश</u>** द्वारा सुनाया गया :

(1) उक्त अपीलें दिनांक 21.6.93 को सत्र प्रकरण क्रमांक 362/91 में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। उन्हें धारा 394/34 भारतीय दंड संहिता के तहत भी दोषसिद्ध कर पाँच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है इस निर्देश के साथ कि उक्त दोनों दंड साथ-साथ चलेंगे।

(3) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:

मृतक बसंत कुमार, लालचंद (अ.सा.-2) का पुत्र था। वे वी.सी.आर., टेलीविजन एवं कैसेट किराये पर देने का व्यवसाय करते थे। दिनांक 2.10.89 को प्रातः लगभग 10.00 बजे अभियुक्तगण उनके घर आये और अपने गाँव में फिल्म प्रदर्शन हेतु वी.सी.आर. एवं टेलीविजन सेट ले गये। मृतक एवं उनका नौकर अयूब (अ.सा-3) मृतक के स्कूटर पर अभियुक्तगण के गाँव गये। मृतक ने अयूब को वी.सी.आर. सेट सहित उस घर में छोड़ दिया, जहाँ फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ हुआ। तत्पश्चात मृतक ने यह कहते हुए उस घर से प्रस्थान किया कि वह स्कूटर में पेट्रोल

भरवाने पेट्रोल पंप जा रहा है और कुछ समय बाद वापस आयेगा। अभियुक्तगण भी यह कहते हुए मृतक के साथ उसके स्कूटर पर बैठकर गये कि वे पेट्रोल पंप के निकट उतर जायेंगे। उसके बाद मृतक जीवित नहीं देखा गया तथा दिनांक 3.10.89 को प्रातः लगभग 7-7.30 बजे उसका शव एक खुले स्थान पर पाया गया। राजकुमार नामक एक गाँव के लड़के ने शव देखा और मर्ग सूचना दर्ज करायी। इसी बीच गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी थी। अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचा, पंचों को सूचना दी तथा मृतक के शव का पंचनामा (प्रदर्श-पी/4) तैयार किया। शव पर अनेक चोटें थीं। डॉ. के.पी. चंद्राकर (अ.सा-22) ने शव परीक्षण किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-पी/25 है। उन्होंने मृतक के शरीर पर 15 बाह्य चोटें, जिनमें अनेक फ्रैक्चर सम्मिलित थे, पायीं और यह मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव एवं शॉक था, जो बहु-अंगीय चोटों एवं खोपड़ी की हड्डी के फ्रैक्चर के परिणामस्वरूप हुआ। मृत्यु हत्यात्मक प्रकरती की थी। दिनांक 5.10.89 को मृतक का स्कूटर, पंजीयन क्रमांक एम.ओ.आर.1845, परित्यक्त अवस्था में पाया गया तथा उसे जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी/10 के तहत जप्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता नारायण को अन्वेषण के दौरान 9.10.89 को हिरासत में लिया गया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उसका मेमरैन्डम बयान (प्रदर्श-पी/15) दर्ज किया गया और उसके निर्देश पर स्कूटर की दो चाबियां, एक छोटा पर्स और कुछ अन्य वस्तुएं बरामद की गईं, जिनका जप्ती पत्र प्रदर्श-पी/17 है। 20.12.89 को इन चाबियों और पर्स की पहचान कराई गई, जिसे लालचंद (अ.सा.-2) ने मृतक की वस्तुएं बताया। पहचान कार्यवाही प्रदर्श-पी /2 है, जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट ए.आर.ध्रुव (अ.सा-23) द्वारा कराया गया ।

अभियोजन का प्रकरण है कि 2.10.89 को दोपहर लगभग 12 से 1 बजे के बीच, अपीलकर्ता मृतक के साथ गाँव पुरई से स्कूटर पर निकले; रास्ते में उन्होंने उसकी हत्या की; साथ ही मृतक का स्कूटर, पर्स और चाबियां अपने साथ ले गए।

इस घटना के कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे और अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। सत्र न्यायाधीश ने माना कि मृतक को अंतिम बार अपीलकर्ताओं के साथ देखा गया था और मृतक की वस्तुएं अपीलकर्ता नारायण के निर्देश पर जप्त हुईं, अतः अपीलकर्ता उपरोक्त भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दंडनीय हैं।

(4) अपीलकर्ता नारायण के अधिवक्ता श्री रवि कुमार भगत ने तर्क दिया कि मृतक को जीवित अवस्था में अपीलकर्ताओं के साथ देखे जाने और मृतक के शव मिलने के बीच लंबा अंतराल था, इसलिए "अंतिम बार साथ देखे जाने" की परिस्थिति अभियोगात्मक साक्ष्य नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि यह भी नहीं सिद्ध हुआ कि अपीलकर्ता नारायण ने पुलिस को कोई बयान दिया हो और मृतक की वस्तुएं उनके निर्देश पर बरामद हुईं हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) दूसरी ओर, शासन के लिये विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने इन तर्कों का विरोध करते हुए सत्र न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

(6) हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना और हमने सत्र प्रकरण के अभिलेख का भी अवलोकन किया ।

(7) अविवादित है कि इस मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अभियोजन पक्ष का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। निम्नलिखित परिस्थितियों के आधार पर सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया है:

(i) मृतक को अंतिम बार 2.10.89 को दोपहर लगभग 12 से 1 बजे के बीच अपीलकर्ताओं के साथ जीवित देखा गया था।

(ii) मृतक के स्कूटर की चाबियां एवं पर्स, जो मृतक की वस्तुएं थीं, अपीलकर्ता नारायण के मेमरैन्डम बयान (प्रदर्श पी/15) के आधार पर जप्त की गईं;

(iii) उक्त वस्तुओं की पहचान लालचंद (अ.सा-2) ने मृतक की वस्तुएं बताते हुए की।

(8) ***धनंजय चटर्जी विरूद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2 एस.सी.सी. 22*** में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि "परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित प्रकरण में, दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकालने वाली परिस्थितियों को पूरी तरह स्थापित किया जाना आवश्यक है तथा सभी स्थापित परिस्थितियां दोषसिद्धि के सिवाय अन्य किसी सिद्धांत द्वारा समझी न जा सकें। सबूतों की श्रंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता से जुड़े किसी भी युक्तियुक्त संदेह के लिए कोई स्थान न रहे। न्यायालय का आवेश नहीं, बल्कि विधिक रूप से स्थापित परिस्थितियां ही दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं, और जघन्य अपराध के मामले में साक्ष्यों की जांच और अधिक सावधानीपूर्वक होनी चाहिए ताकि शक को प्रमाण न समझ लिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत के बारे में, कई प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार जीवित देखा जाने का समय और मृतक के मृत पाए जाने के बीच के समय अंतर इतना कम हो कि अन्य किसी के अपराधकर्ता होने के संभावना असंभव हो जाय, तभी यह सिद्धांत लागू होता है। यदि इस अवधि में लंबा समय अंतर हो और अन्य व्यक्ति अपराध में सम्मिलित हो सकते हों तो अंतिम देखे जाने का सिद्धांत लागू करना कठिन होता है। जब तक किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध न हो कि

अभियुक्त और मृतक अंतिम बार साथ ही थे, तब तक दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकालना जोखिमपूर्ण होगा।

(10) अब हम प्रत्येक परिस्थिति का स्वतंत्र रूप से परीक्षण करेंगे।

(11) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह निर्धारित किया है कि मृतक की वस्तुएं अपीलकर्ता नारायण के निर्देश पर, जब उसने अपना प्रकटीकरण ब्यान प्रदर्श-पी/15 दिया, जप्त की गईं। यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। प्रकटीकरण के उक्त ब्यान के दो साक्षी गिर्धारी लाल (अ.सा-14) और प्रशांत सिंह (अ.सा-15) हैं। गिर्धारी लाल (अ.सा-14) ने बयान दिया कि वह अभियुक्तगणों को नहीं पहचानता। वह अभियुक्त नारायण को नहीं पहचानता। हालांकि, एक युवक जिसका नाम नारायण था, ने बयान दिया है कि उसने स्कूटर की चाबियां और एक बैग जिसमें 10 रुपये थे, पुलिस को दिया था। यदि मेमोरैन्डम बयान देने वाले की पहचान मेमोरैन्डम के साक्षियों द्वारा स्थापित नहीं होती, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त ब्यान उसने ही दिया है। गिर्धारी लाल के साक्ष्य के अनुसार, यह स्थापित नहीं हुआ कि अपीलकर्ता नारायण ने उनके सामने पुलिस को कोई प्रकटीकरण बयान दिया क्योंकि वह उसे न्यायालय में पहचान नहीं सका। प्रशांत सिंह (अ.सा-15), जो ग्राम पुरई के सरपंच थे, अपने बयान में स्पष्ट कह चुके हैं कि अपीलकर्ता नारायण ने उनके सामने कोई प्रकटीकरण नहीं किया। उन्होंने यह भि कथन किया की आरोपी शेषनारायण ने भि उनके समक्ष कोई प्रकटीकरण नहीं किया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज मेमोरैन्डम कथन के तथ्यों को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि मेमोरैन्डम ब्यान (प्रदर्श-पी/15) उनके समक्ष अभिलिखित नहीं किया गया, बल्कि पुलिस ने उसे हस्ताक्षर करवाकर कुछ जप्ती पत्र बनाए। परंतु उन्होंने स्वीकार किया कि पैंट, कमीज, नाक का पिनं वाला पर्स, और तंबाकू का एक छोटा पैकेट पुलिस ने अपीलकर्ता नारायण के घर के सामने जप्त किया था। जप्ती पत्र प्रदर्श-पी/17 पर उनके हस्ताक्षर हैं। अतः यह स्पष्ट है कि उन्होंने ना तो अपीलकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नारायण द्वारा किए गए प्रकटीकरण का समर्थन किया और केवल इतना कहा कि उक्त वस्तुएं नारायण के घर के सामने जप्त की गईं। इन साक्ष्यों के सही मूल्यांकन से यह नहीं सिद्ध होता कि धारा 27 के तहत अपीलकर्ता नारायण द्वारा किया गया प्रकटिकरण पूरी तरह न्यायसंगत रूप से स्थापित हुआ है।

(12) जहां तक वस्तुओं की पहचान का सवाल है, वह अपीलकर्ताओं के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं बनती क्योंकि हमने पहले ही माना है कि ये वस्तुएं अभियोजन पक्ष के कथनानुसार अपीलकर्ता नारायण के निर्देश पर जप्त नहीं की गईं। इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी के निशानदेही पर जप्त बैग में मृतक का फोटो था, इसलिए इसकी पहचान की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही, पहचान कार्यवाही मेमो के अनुसार पहचान कार्यवाही पुलिस थाना के सामने वाले मैदान की गई थी। अतः यह परिस्थिति भी अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोगात्मक साक्ष्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) अब हम अंतिम बार देखे जाने वाली परिस्थिति का परीक्षण करेंगे। वर्तमान प्रकरण में मृतक को अंतिम बार अपीलकर्ताओं के साथ 2.10.89 को दोपहर लगभग 12 से 1 बजे के बीच देखा गया था और उसके बाद उसका शव राजकुमार द्वारा 3.10.89 को प्रातः लगभग 7-7.30 बजे देखा गया। अतः मृतक और अपीलकर्ताओं को अंतिम बार जीवित देखा जाने के समय और मृतक के मृत पाए जाने के समय के बीच लंबा अंतराल था, और अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना को असंभव नहीं कहा जा सकता। इस परिस्थिति में, जब तक कोई अन्य सकारात्मक साक्ष्य न हो कि अपीलकर्ता और मृतक अंतिम बार साथ थे, तब तक इस मामले में दोषसिद्धि पर पहुँचने में कठिनाई होगी।

(14) उपर्युक्त कारणों से, अपीलकर्ताओं को धारा 302/34 एवं 394/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दिया गया दोषसिद्धि और दंड स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

(15) अतः, अपील स्वीकार की जाती हैं। अपीलकर्ताओं को धारा 302/34 एवं 394/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दिया गया दोषसिद्धि एवं दंड निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ताओं को उनपर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके मुचलके निरस्त किए जाते हैं और बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं।

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यायाधिपती **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. Shikhar Bakhtiyar